

मूल वाद में डिफ्री  
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम कोर्ट) रायपुरिया

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी R.A.S.**

उन्वान **श्री गोरजसिंह** बनाम **राज सरकार**  
 दाता बाबत **गाम डुरुस्ती U/S 88 RTA**  
 मुकदमा नम्बर - **92/2021**  
 निर्णय दिनांक - **17-11-2021**

वादी की ओर से **स्वयं** को व प्रतिवादी की ओर से **श्री गोरजसिंह श्री राहुल सैनी R.A.S.** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **17-11-2021** को (नाम पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चूरु के अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि - **वादी द्वारा प्रस्तुत वादा स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि रोही ग्राम रायपुरिया के खात सं 76 में अंकित खतदार का नाम योगेन्द्रसिंह के स्थान पर योगरजसिंह अंकित करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार, डूंग अक्ताह सगु राजस्व अभिलेख में अमल कराया करें।**

खर्चा पेश करने के लिए आना वहन करेंगे।  
 यह आज तारीख **17-11-2021** को मेरे हस्ताक्षर से और प्रतिवादी को मुद्रा लगाकर



**राहुल सैनी**  
 (राहुल सैनी)  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शनों के लिए स्टाम्प	फ्लोडर की फीस
4. ... रूपरेखा पर फ्लोडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	



सा.नं. 1306  
 17.11.2021